फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड मजिस्ट्रेट एंव उपखण्ड अधिकारी मुकाम छतरगढ़

सरकार बनाम ग्राम कृष्णनगर

किस्म मुकदमा राजस्व प्रार्थना पत्र नंबर 04 सन – 202[illegible]

धारा 136 LRA

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स	नम्बर व तारीख अन्तर्गत जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
28.01.2021	यह राजस्व प्रार्थना पत्र सरकार जरियें तहसीलदार छतरगढ द्वारा न्यायालय में पेश किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावें। प्रार्थना पत्र में वर्णित ग्राम कृष्णनगर पटवार मण्डल खारबारा के खसरा नम्बर 174 में रकबा 894.19 बीघा बारानी में विभिन्न खातों के विभाजित खसरें अनुसार मौके पर सहीं काबिज नहीं होने के कारण मूल खसरें में सभी खातों के खसरों की तरमीम नहीं किये जाने के कारण एकल खाता (संयुक्त खाता) किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। सरकार जरियें तहसीलदार राजस्व की रिपोर्ट अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ पत्रावली दिनांक 29.01.2021 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी छतरगढ़	
29/01/21	पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार भू. अ. छतरगढ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। सूची क्र. सं. 01 से 35 तक हल्का पटवारी, ILR की जांच रिपोर्ट व तहसीलदार भू. अ. छतरगढ की अनुशंषा पर विभाजित खाते/खसरों को DILRMP [illegible] खसरो को कार्य को पूर्ण करने के तह[illegible] तरमीम न हो पाने [illegible] स्तर पर सकल करने [illegible] की जाती है, जो बाद ऑनलाईन के विभाजन के जरिये तरमीम करवाई जा सकेगी। उपखण्ड अधिकारी छत्तरगढ़ (बीकानेर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Jeetu Singh Meena

Date: 2021.03.16 16:37:20 IST

Reason: SelfAttested